संख्या–1578 III(2)/04–11(बजट)/2004

प्रेषक,

टी0के0 पन्त,
संयुक्तसचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामे,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लो0नि0वि0,देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून,दिनांक 6 सितम्बर,2004

विषयः– वित्तीय वर्ष 2004–2005 में निर्माणाधीन मार्ग/सेतु के कार्यो हेतु प्राविधानित अवशेष धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयकआपके पत्र संख्या–1378/01 बजट (मार्ग/सेतु कार्य–रा.से.)/04–05 दिनांक 6.8.2004 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या– 483/III (2)/04–11 (बजट) /2004 दिनांक 18 मई,2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2004–05 मे निर्माणाधीन मार्ग/सेतु के कार्यो हेतु प्राविधानित धनराशि में से लेखानुदान के अर्न्तगत स्वीकृत धनराशि को कम करते हुए अवशेष धनराशि रूपये 440000 हजार (रूपये चौवालीस करोड़ मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निर्यतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का सी.सी. एस. के आधार पर कोषागार से आहरण किया जायेगा। यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का कार्यवार/खण्डवार आबंटन ऐसी चालू योजनाओं पर शासन की सहमति के प्रथमतः किया जायेगा,जिसमें 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है,जिन खण्डों में 75 प्रतिशत या उससे अधिक के कार्य अवशेष नही हैं,उन खण्डों में 50 प्रतिशत से अधिक के कार्य किये जायेंगे, कार्यवार/खण्डवार आबंटन कर संकलित प्रस्ताव शासन को एक सप्ताह मे उपलब्ध कराया जायेगा ।अग्रेत्तर त्रैमासी की सी.सी.एस. जारी करने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व मे सी.सी.एस.द्वारा निर्गत धनराशि का संबंधित खण्ड/ प्रखण्ड द्वारा पूर्ण उपयोग कर ली गई हों ।

3– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल,वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो,उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय । निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनिकी स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय । कार्य करते समय टैण्डर/कुटेशन विषयक नियमों का अनुपालन किया जायेगा ।

4– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे ।

5– स्वीकृति के एक माह के अन्दर अब तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत कार्यो का विवरण एवं वित्तीय तथा भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा । वर्ष 2004–05 मे स्वीकृत धनराशि के विपरीत कार्यो का विवरण व भौतिक प्रगति 31 मार्च,2005 के प्रथम सप्ताह में उपलब्ध करा दी जायेगी ।

6– उक्त स्वीकृत धनराशि का कार्यवार आबंटन कर वित्तीय व भौतिक लक्ष्यों का विवरण प्राथमिकता के आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा

क्रमशः2/–

7– इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–22 लेखाशीर्षक 5054 सड़को एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़के–आयोजनागत–800 –अन्य व्यय –03–राज्य सेक्टर–01 चालू निर्माण कार्य–24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. सं0 193/वित्त अनुभाग–3/04,दिनांक, 17 अगस्त,2004 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव ।

संख्या–1578 (1)/ II(2)/04,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल,इलाहाबाद / देहरादून ।
2– आयुक्त कुमायू मंडल, नैनीताल ।
3– समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकरी ,उत्तरांचल ।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून ।
5– निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,उत्तरांचल,देहरादून ।
6– मुख्य अभियन्ता ,गढवाल/कुमायू क्षेत्र,लो0नि0वि0, पौढ़ी/ अल्मोड़ा ।
7– वित्त अनुभाग–3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन ।
8– लोक निर्माण अनुभाग–1,उत्तरांचल शासन/गार्ड बुक ।

आज्ञा से

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव ।

rakesh- f.o mw